FORM - D

न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द, जिला-महासमुन्द, (छ०ग०)
(पीठासीन अधिकारीःचित्रलेखा सोनवानी)
निर्णय दिनांकः 16/04/2024 दांडिक प्रकरण क्रमांकः **एस०**-3464/2022 CNR No.: **CGMA02-004000-2022** अपराध क्रमांकः 457/2022 आरक्षी केन्द्रः **महासमुन्द**

शिकायतकर्ता	छत्तीसगढ़ शासन (चेतन लाल सिन्हा प्रधान आरक्षक)
राज्य की ओर से	श्री आशीष श्रीवास्वत डी०पी०ओ०
अभियुक्त	श्रीमती फटकन सोनवानी पति शंकर सोनवानी उम्र 65 वर्ष, साकिन-ग्राम बरबसपुर , थाना व जिला महासमुन्द छ०ग०
अभियुक्त की ओर से	श्री बी०एस०कसार अधिवक्ता ।

FORM - E

घटना दिनांक	12/10/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	12/10/2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	22/12/2022
आरोप विरचित करने का दिनांक	14/06/2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	28/07/2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	28/03/2024
निर्णय की तिथि	16/04/2024
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो तो	**निरंक ।**

अभियुक्त का विवरण

क्र०	आरोपी का नाम	गिरफतारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1	श्रीमती फटकन सोनवानी, पति शंकर सोनवानी, उम्र 65 वर्ष, साकिन-ग्राम बरबसपुर , थाना व जिला महासमुन्द छ०ग०	12.10.22	18.10.22	34 (2), आब० अधि०	16.04.24 **दोषमुक्त**	निरंक	13/10/22 से 18/10/2022

FORM - F

क्र०	विवरण	पेज नम्बर
01	निर्णय का शीर्षक	03
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	03
03	आरोप	03
04	स्वीकृत तथ्य	04
05	अभियोजन कहानी	04
06	आरोपी की प्रतिरक्षा	04
07	विचारणीय प्रश्न	04
08	कारण और निष्कर्ष	05-10
09	सजा	----
10	निरोध की अवधि एवं सेट-ऑफ	----
11	सम्पत्ति का व्ययन	10
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	----
13	धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र	11
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	----
15	निर्णय की प्रति	10

न्यायालयः-चित्रलेखा सोनवानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ०ग०)

दांडिक प्रकरण क्रमांक- एस०-3464/2022

CNR No.: CGMA02-004000-2022

अपराध क्रमांक एस-457/2022

संस्थित दिनांक- 22/12/2022

छ०ग० राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र- **महासमुन्द**
जिला-महासमुन्द (छ०ग०) ....अभियोजन

//विरूद्ध//

श्रीमती फटकन सोनवानी पति शंकर सोनवानी,
उम्र 65 वर्ष, साकिन-ग्राम बरबसपुर ,
थाना व जिला महासमुन्द (छ०ग०) ....अभियुक्ता

राज्य द्वारा डी०पी०ओ० श्री आशीष श्रीवास्तव ।
अभियुक्ता की ओर से श्री बी०एस०कसार अधिवक्ता ।

//निर्णय//

(आज दिनांक–16/04/2024 को घोषित)

01- अभियुक्ता **श्रीमती फटकन सोनवानी** के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की **धारा-34(2) आबकारी एक्ट** के तहत दण्डनीय अपराध का यह आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक **12/10/2022** को समय **18:20** बजे, **स्थान ग्राम बरबसपुर अभियुक्त के घर के सामने** जो कि थाना **महासमुन्द**, की परिसीमा में आता है में बिना अनुज्ञा पत्र के **एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर 33 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में शीशी में 180 एम.एल. भरी हुई, कुल 5940 एम.एल. मदिरा** को अवैध रूप से बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखी था ।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है ।

03- अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि **आरक्षी केन्द्र महासमुन्द** में पदस्थ प्रधान आरक्षक चेतन सिन्हा के द्वारा दिनांक 12/10/2022 को हमराह स्टॉफ आरक्षक क्रमांक–412, 900 तथा प्रधान आरक्षक 434 के, स्वयं के मोटर सायकल से महासमुंद शहर, खरोरा, बेलसोण्डा, घोडारी, बिरकोनी, बरबसपुर की ओर जुआ एवं शराब रेड कार्यवाही हेतु रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति ग्राम बरबसपुर में अपने घर के सामने बिक्री हेतु अवैध रुप से शराब रखा है कि उक्त सूचना तस्दीकी हेतु एवं शराब रेड कार्यवाही हेतु हमराह स्टॉफ एवं गवाहों **आशीष साहू** एवं **राहूल ताण्डी** को घटना के संबंध में धारा 160 जा०फौ० का नोटिस देकर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उनकी सहमति प्राप्त कर साथ लेकर ग्राम बरबसपुर आरोपी के घर के सामने पहुॅचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकडे और उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम फटकन सोनवानी होना बताया तथा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक थैले के अंदर 33 पाव गोवा अंग्रेजी अवैध शराब बिक्री करने हेतु रखना बताया। तत्पश्चात शराब रेड कार्यवाही कर उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद किया । तत्पश्चात पुलिस स्टॉफ की तलाशी पंचनामा तैयार कर तलाशी अभियुक्त से कराया गया तथा अभियुक्त से सहमति लेकर अभियुक्त का गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से शराब बरामद किया । तत्पश्चात अभियुक्त को उक्त शराब रखने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुति हेतु धारा 91 द०प्र०सं० का नोटिस दिये तब अभियुक्त के द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं होना कहा गया तथा मौके पर जब्तशुदा शराब को जब्त कर जब्तीपत्रक तैयार किया गया । जब्त शराब मौके पर सीलबंद किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध **धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक तैयार किया गया तथा गिरफतारी की **सूचना शंकर सोनवानी** को दिया गया तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया । तत्पश्चात मौके पर देहाती नालिसी बिना नंबरी में दर्ज कर देहाती नालसी के आधार पर अंतर्गत **धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** का अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त एवं जब्तशुदा मदिरा को लेकर वापस थाना आया तथा गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया तथा अपराध पंजीबद्ध कर पश्चात विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

04- अभियुक्ता को अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाने एवं समझाने पर जुर्म करना अस्वीकार कर प्रतिक्षा चाहा । धारा 313 द०प्र०सं० के तहत किये गये परीक्षण में उसने स्वयं को झूठा फंसाना कहते हुए बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना कहा ।

05– **प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है कि–**

1- "क्या अभियुक्त **दिनांक 12/10/2022** को समय **15:55 बजे, स्थान अपने घर के सामने ग्राम बरबसपुर** जो कि **थाना महासमुन्द, की परिसीमा** में आता है, में बिना अनुज्ञा पत्र के **एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर 33 पौवा गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में शीशी में 180 एम.एल. भरी हुई, जुमला 5940 एम.एल. मदिरा** को अवैध रूप से बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखी थी ?"

-::विवेचना एवं निष्कर्ष::-

06– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से **आशीष साहू अ०सा०-01, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सविता रानी मेश्राम अ०सा०-02 एवं चेतन सिन्हा अ०सा०-03** का परीक्षण कराया गया है जिसमें साक्षी **आशीष साहू अ०सा०-01** ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया हैं । उक्त साक्षी को अभियोजन अधिकारी के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछा गया है, परन्तु उक्त साक्षी ने अपने कथन में ऐसी कोई भी बात नहीं बताये हैं जिससे अभियोजन को कोई लाभ मिले ।

07- **प्रधान आरक्षक श्री चेतन लाल सिन्हा अ०सा०-04 ने अपने कथन में बताया है कि** दिनांक 12/10/2022 को अपराध विवेचना एवं शराब, जुआ रेड कार्यवाही के लिए हमराह स्टॉफ आरक्षक क्रमांक-412, 900 एवं महिला आरक्षक क्रमांक-434 के साथ स्वयं के मोटर सायकल पर टाउन भ्रमण के लिए रवाना हुआ था कि मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बरबसपुर स्थित एक व्यक्ति अपने घर के सामने अवैध रुप से शराब बिक्री करने हेतु रखा है । उक्त सूचना पर साक्षीगण आशीष साहू एवं राहूल ताण्डी को मौखिक रुप से मुखबिर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में शामिल होने हेतु धारा 160 जा०फौ० का नोटिस क्रमशः प्र०पी०-01 एवं प्र०पी०-11 देकर साक्षियों के साथ ग्राम बरबसपुर अभियुक्त के घर के सामने पहुँचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा

गया तथा अभियुक्त को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मौके पर ही अभियुक्त की तलाशी के संबंध में उसकी सहमति प्राप्त कर मौके पर ही साक्षियों का तलाशी पंचनामा तैयार किया गया। **सहमति पंचनामा एवं साक्षियों की तलाशी पंचनामा क्रमशः प्र0पी0–02 एवं प्र0पी0–03** तैयार किया।

08– उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने अभियुक्त के द्वारा पुलिस कर्मचारियों एवं वाहन की तलाशी लिये जाने के बाद **पुलिस कर्मचारी वाहन तलाशी पंचनामा प्र0पी0–04** तैयार किया। तत्पश्चात् अभियुक्त से **एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर रखे 33 पाव गोवा अंग्रेजी शराब कुल 5940 एम0एल0 शराब** मिलने पर अभियुक्त की **तलाशी पंचनामा प्र0पी0–05** तैयार किया। तत्पश्चात् मौके पर अभियुक्त से 33 पाव गोवा अंग्रेजी शराब बरामद कर **बरामदगी पंचनामा प्र0पी0–05** तैयार किया था तथा उपरोक्त मदिरा अपने कब्जे में रखने के संबंध में **धारा 91 द0प्र0सं0 का नोटिस प्र0पी0–12** दिये तब अभियुक्त के द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं होना कहा गया। तत्पश्चात बरामदशुदा शराब को विधिवत् जब्त कर **जब्ती पत्रक प्र0पी0–07** तैयार किया। तत्पश्चात् उसके द्वारा मौके पर ही घटना स्थल का **नजरी नक्शा प्र0पी0–09** तैयार किया गया तथा मौके पर ही अभियुक्त को **गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–09** अनुसार गिरफ्तार कर **गिरफ्तारी की सूचना शंकर सोनवानी** को दिया था तथा मौके पर ही प्रकरण से संबंधित **देहाती नालिसी प्र0पी0–14** दर्ज किया था तथा वापस थाना पहुँचकर उसने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक–457/2022 अंतर्गत **धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** के तहत् **प्रथम सूचना पत्र प्र0पी0–15** पंजीबद्ध किया था।

09— उक्त साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि प्रकरण में जब्तशुदा द्रव्य को थाने में सुरक्षार्थ रखने हेतु माल मुंशी को सुपुर्द कर सुपुर्दनामा पावती प्र0पी0—16 प्राप्त किया था। तत्पश्चात् जब्तशुदा मदिरा को परीक्षण के लिए आबकारी उप निरीक्षक वृत्त महासमुंद को आरक्षक राकेश दीवान को कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर **प्र0पी0—17** का प्रतिवेदन देकर प्रेषित किया था तथा प्रकरण में उसके द्वारा थाना महासमुंद के रोजनामचा सान्हा दिनांक 12/10/2022 की रवानगी एवं वापसी सान्हा क्रमशः क्रमांक—36 एवं 62 है।

10— उक्त साक्षी ने अपने कथन में मुखबिर सूचना प्राप्त होने के संबंध में मुखबिर पंचनामा पृथक से तैयार करने के संबंध में स्पष्टतः नहीं बताया है तथा उक्त विवेचक के द्वारा मौके पर बरामद द्रव्य को जब्ती पश्चात सीलबंद करने के संबंध में स्पष्टतः नहीं बताया है तथा विवेचक के द्वारा सीलबंद नमूना पंचनामा भी पृथक से तैयार नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि विवेचक के द्वारा मौके पर बरामद द्रव्य को विधिवत् सीलबंद कर जब्ती कार्यवाही किया गया है जिससे विवेचक द्वारा किया गया जब्ती कार्यवाही विधिवत् न होने से संदेहास्पद हो जाता है।

11— विवेचक ने अपने कथन में जब्तशुदा द्रव्य को परीक्षण हेतु आबकारी कार्यालय को तहरीर के माध्यम से प्रेषित करना बताया गया है, परन्तु विवेचक ने अपने कथन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा परीक्षण हेतु प्रेषित करने से पूर्व जब्तशुदा द्रव्य को मालखाना से विधिवत् प्राप्त किया गया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जांच उपरांत उसे आबकारी कार्यालय से जब्तशुदा द्रव्य किस दिनांक को वापस प्राप्त हुआ था या नहीं, जिससे यह नहीं

कहा जा सकता कि विवेचक के द्वारा जब्तषुदा द्रव्य का परीक्षण विधिवत् आबकारी कार्यालय प्रेषित कर, कराया गया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं होता कि विवेचक के द्वारा जब्ती पश्चात् जब्तशुदा द्रव्य को थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा था तथा प्रकरण में विवेचक के द्वारा मालखाना रजिस्टर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था इस प्रकार उक्त विवेचक के द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही संदेहास्पद हो जाता है।

12— सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सविता रानी मेश्राम अ0सा0—02 ने अपने कथन में बतायी है कि दिनांक 13/10/2022 को थाना महासमुंद के अपराध क्रमांक—457/2022 में जब्तशुदा सामग्री एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर 33 पाव गोवा अंग्रेजी शराब को आरक्षक ओमप्रकाश सिन्हा क्रमांक—900 के द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा प्रस्तुत द्रव्य का सील तोड़कर उनमें भरे हुए द्रव्यों का उसके द्वारा खोलकर देखने पर कैरेमल रंग का होना, सूंघने पर अंग्रेजी गोवा मदिरा का लेबल एवं होलोग्राम लगा होना, चखने पर एल्कोहलिक तीखा स्वाद होना, नीला लिटमस पेपर पर डुबाने पर पेपर का रंग अपरिवर्तित होना तथा थर्मामीटर एवं हाईडोमीटर से तेजी माप लेकर जांच उपरांत जांच हेतु प्रस्तुत द्रव्य को व्हीस्की शराब अंग्रेजी **25 यू0पी0** तेजी का होना पाया। उसके द्वारा तैयार किया गया **परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0—10** है।

13— उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा किया गया है जिसमें उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—04 में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जांच हेतु पेश किये गये द्रव्य का परीक्षण पूर्व सील तोड़ने के

संबंध में कोई भी पंचनामा तैयार नहीं किया गया है तथा परीक्षण उपरांत पुनः सीलबंद करने के संबंध में भी कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त साक्षी के द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत द्रव्य की जांच विधिवत् किया गया है तथा उक्त साक्षी ने अपने कथन में जांच हेतु प्रस्तुत द्रव्य का ही जांच करना बताया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी के द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत समस्त द्रव्य की जांच नहीं किया गया है।

14— उपरोक्त साक्ष्य विवेचना का सार यह है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी के द्वारा **विवेचनाधिकारी** के द्वारा किये गये कथन का समर्थन नहीं करने से तथा **विवेचनाधिकारी** के द्वारा **विधिवत् जब्ती कार्यवाही को विधिवत् प्रमाणित न करने से** एवं **बरामद द्रव्य को विधिवत् सुरक्षार्थ रखे जाने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने से विवेचना कार्यवाही संदेहास्पद** हो जाता है तथा **आबकारी उप निरीक्षक** के किये गये परीक्षण प्रतिवेदन से भी विवेचक की विवेचना प्रमाणित नहीं होता तथा **विवेचनाधिकारी** द्वारा किये गये विवेचना से अभियोजन का प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं होता, अतः **अभियुक्त को धारा—34(2) छ0ग0 आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।** अभियुक्त का जमानत मुचलका भारमुक्त किया जाता है। उसे स्वतंत्र किया जावे।

15— अभियुक्त के जमानत मुचलके दं0प्र0सं0 की धारा—437—क के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

16— अभियुक्त **फटकन सोनवानी** न्यायिक अभिरक्षा में **दिनांक—13/10/2022 से दिनांक 18/10/2022** तक निरूद्ध रही है। इस

संबंध में धारा 428 द०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का पृथक से निरोध प्रमाण पत्र तैयार कर निर्णय में संलग्न किया जावे ।

17— प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर 33 पाव गोवा अंग्रेजी शराब कुल 5940 एम0एल0 शराब मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुशार जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश्न में टंकित किया गया ।

(चित्रलेखा सोनवानी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महासमुन्द छ०ग०

(चित्रलेखा सोनवानी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महासमुन्द छ०ग०